

**आदेश :-**

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में ली गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
5187	384	गंगावती पति	543	3.04	गंगावती देवी	543	3.04
		शंकर माई	545	4.67	पति	545	4.67
		शेषरवाण			शंकर माई		
		असवरी			शेषरवाण		
		असवरी			गंगावती देवी		

क्रमांक :- 163

प्रतिनिधि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी  
 (अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)  
 PGKSA-2021, पं.स. मौलासर  
 दिनांक :- 12/10/21

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालनार्थ :-

5187 को मेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार

उप तहसीलदार, मौलासर